न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 04 / 22

तारीख दायरा:–04.02.2022

1. बाबूसिंह पुत्र करनसिंह
2. श्यामसुन्दर दत्तक पुत्र गणपतसिंह
3. कन्हैयासिंह पुत्र करनसिंह
4. कुसुम पुत्री मानसिंह
5. दानसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
6. प्रमोद पुत्र मानसिंह
7. मुस0 बैकुण्ठी उर्फ कम्पो पुत्री करनसिंह
8. मुस0 रामवती पत्नी मानसिंह
9. विनोद पुत्र मानसिंह
10. हरीसिंह पुत्र करनसिंह

जातियान ठाकुर निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

–––––प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोहरसिंह पुत्र किशनसिंह
2. माया पुत्री किशनसिंह
3. राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह
4. होशियार सिंह पुत्र किशनसिंह

जातियान ठाकुर निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

–––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री चरनसिंह चौहान अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः–07.02.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 2002 / 0.29, 2003 / 0.14, 2004 / 0.14 बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे स्थित है। सबूत मे नकल जमाबंदी हाल पेश की है। यह रकबा उभय पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी थी जिसका मौखिक रूप से विभाजन कर रखा था। भविष्य मे उभय पक्षकारान के मध्य सम्मलित रकबे की बाबत कोई विवाद ना हो जिसके कारण सभा सहकाशकार ने आपसी सहमती से एक समझौता पत्र दिनांक 15.11.2019 को इस आशय का लिख दिया कि खसरा नं0 2002 मे से 15–15 फुट के दो रास्ते खसरा नं0 2003 व 2004 के स्वामियो को देना होगा, जो रोबरू पब्लिक नोटेरी तस्दीक भी करा दिया गया तथा सहखातेदारी की आराजी का आपसी सहमती से तहसीलदार नगर के समक्ष विभाजन करा लिया था। समझौते अनुसार 15–15 फुट के दो रास्तो का आवागमन एंव

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

कृषि यंत्रो आदि को लाने–ले जाने हेतु उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है, किंतु अब अप्रार्थीगण के मन मे बदयांती आ गई है और पूर्व मे हुये समझौते को नकारते हुऐ 15–15 फुट के दोनो रास्तो को अवरूद्व करने पर आमादा है, जिसके लिय अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.01.2022 को स्पष्ट धमकी दी है कि हम जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण के दोनो रास्तो को अवरूद्व कर देगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण अपने इरादे को यथाशीघ्र पूरा करने वाले है, यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नं0 2002/0.29 बाके कस्बा नगर मे से प्रार्थीगण को 15–15 फुट के दो रास्ते खसरा नं0 2003 व 2004 बाके कस्बा नगर मे आने–जाने हेतु दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री चरनसिंह चौहान ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। आराजी खसरा नं0 2002/0.29, 2003/0.14, 2004/0.14 बाके कस्बा नगर तहसील नगर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसको पूर्वजो के जमाने से ही काश्त करते चले आ रहे है और पूर्वजो ने ही मौके पर आपस मे बंटवारा कर रखा था। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 15.11.2019 को कोई समझौता नही हुआ वह तो पूर्वजो के समय से चला आ रही है, उसी अनुसार आज भी मौके पर कब्जा काश्त है, उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दराज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे हर जगह बस एक ही बात लिखी गई है कि दिनांक 15.11.2019 को समझौते के आधार पर 15–15 फुट के रास्ते देने का करार हुआ था जब कि यह तो झूठा व फर्जी जालसाजी कर एक स्टाम्प खरीद कर बनाया है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे तहसीलदार नगर द्वारा अपने पत्र कमांक/भू.अ./24/3258 दिनांक 06.12.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली व तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया।

तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट व सलंग्न नजरी नक्शा मे आराजी खसरा नं0 2003/0.14, 2004/0.14 बाके कस्बा नगर तहसील नगर कृषि प्रयोजनार्थ काम मे ली जा रही है, तथा आराजी खसरा नं0 2002/0.29 बाके कस्बा नगर तहसील नगर पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है व कृषि प्रयोजनार्थ काम मे नही आ रही है जिसका कन्वर्जन नही हुआ है। आराजी खसरा नं0 2002 के पश्चिम मे ख0नं0 1992 किस्म गै.मु.रास्ता है जो कि कस्बा नगर की आवादी से लगा हुआ है। आ0ख0नं0 2003 व 2004 के खातेदारो द्वारा ख0नं0 2002 मे से 15–15 फुट के 2 रास्ते चाहे गये है। जो वर्तमान मे 12 फुट चोडे व 135 फुट लम्बे 2 रास्ते आ0ख0नं0 2002 मे प्लॉटिंग मे मिट्टी डालकर बनाये हुये है। जिनमे से एक रास्ता ख0नं0 2003 व एक रास्ता ख0नं0 2004 के लिये जाता है। आराजी खसरा नं0 2003 व 2004 के लिये ख0नं0 2002 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अत खसरा नं0 2002 के

खातेदारो द्वारा की गई प्लॉटिग मे से राजू व होशियाररिंह की प्लॉटिंग के मध्य 15 फुट चौडा व 135 फुट लम्बा कुल 2025 वर्गफुट जिसका कुल रकबा 0.0185 है0 रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी संख्या 01 एंव अप्रार्थी संख्या 01 ने हस्ताक्षर किये तथा मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई जिसे पर उन लोगो द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये। प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा निम्न प्रकार प्रेषित किये गये है--

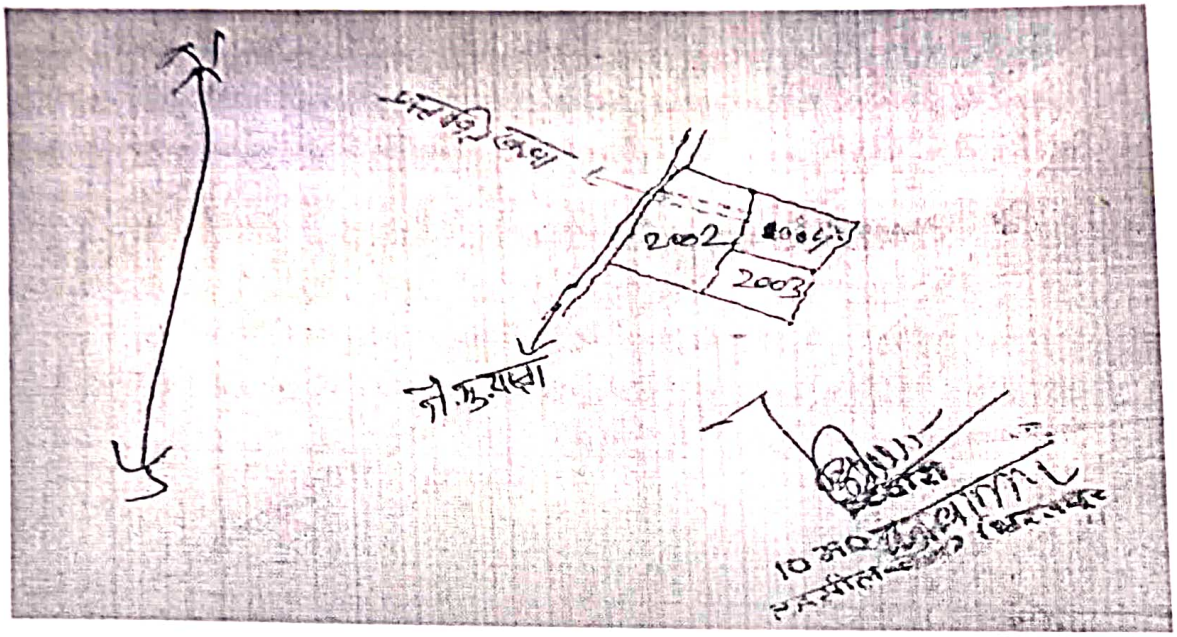

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251(क) मे प्रावधान है कि– "अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या अन्य मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भुमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐस अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें ओर उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिंप्त जॉच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है: और
2. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

पत्रावली व तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नगर स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण को आराजी खसरा नं0 2003/0.14, 2004/0.14 वाके कस्बा नगर तहसील नगर के लिये खसरा न0 2002/0.29 बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे से राजू व होशियारसिंह की प्लॉटिंग के मध्य 15 फुट चौडा व 135 फुट लम्बा रास्ता प्रदान किया जावे इसी प्रकार उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। तथा अप्रार्थीगण की आराजी के डी.एल.सी. रेट के दोगुने के हिसाब से राशि का आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को मुताबिक हिस्सा अदा कराई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार नगर को वास्ते पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

07/2/2025

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग)

फोन नं.–05641–243053 email id-sdm.nagar@gmail.com

कमांक / राजस्व / 25 / 73 दिनांकः– 24.03.2025

तहसीलदार
नगर।

विषयः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) वउनवानी बाबूसिंह बगै0 बनाम मनोहरसिंह बगै0 मे निर्णय दिनांक 07.02.2025 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) वउनवानी बाबूसिंह बगै0 बनाम होशियारसिंह बगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 07.02.2025 की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। यदि प्रकरण मे किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट अन्दर 07 दिवस इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नगर(डीग)